मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

शुक्रवार, दिनांक 5 मार्च, 2021 (फाल्गुन 14, शक संवत् 1942)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:00 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

1. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री नंदकुमार सिंह चौहान, संसद सदस्य के निधन पर सदन की ओर से शोकोदगार व्यक्त किये गये.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री एवं डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य द्वारा शोकोदगार व्यक्त किये गये. अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की गई तथा सदन द्वारा 2 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

दिवंगत के सम्मान में सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न 11.15 बजे 10 मिनट के लिये स्थगित की जाकर 11.26 बजे पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

2. मुख्यमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बधाई एवं शुभकामनाएं

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री एवं डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य द्वारा श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी गईं.

3. प्रश्नकाल में मौखिक उल्लेख की अनुमति न दी जाना

प्रश्नकाल में श्री बाला बच्चन, सदस्य द्वारा बड़वानी जिला प्रशासन की मनमानी संबंधी उल्लेख करने पर, आसंदी द्वारा उन्हें प्रश्नकाल हो जाने के बाद उल्लेख करने की अनुमति देने संबंधी निर्देश दिए गए.

4. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 7 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 4, 5, 7, 8 एवं 10) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 132 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 146 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

5. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि नियम 267-क अधीन लंबित सूचनाओं में से 30 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है यह सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी. इन सभी सूचनाओं को उत्तर के लिए संबंधित विभाग को भेजा जायेगा. तद्नुसार -

(1) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य की गांधी सागर में क्रोकोडाईल पार्क का निर्माण कराये जाने,

(2) डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य की 89 आदिवासी ब्लाकों में आवागमन के साधनों का अभाव होने,

(3) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की नरयावली विधान सभा अतंर्गत वि.ख. राहतगढ़ के ग्राम भापेल में पेयजल/नलजल योजना संचालित किये जाने,

(4) श्री आलोक चतुर्वेदी, सदस्य की छतरपुर जिला मुख्यालय में आई.एस.बी.टी. बस स्टैण्ड का निर्माण कराये जाने,

(5) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य की शिक्षक भर्ती 2018 में चयनित शिक्षकों की रोकी गई भर्ती प्रक्रिया को पुन: चालू कराये जाने,

(6) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य की नागदा जंक्शन जिला उज्जैन स्थित ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा फ्लाई एश के विक्रय एवं प्रदाय में भारी मात्रा में अपवंचन किये जाने,

(7) श्री देवेन्द्र पटेल, सदस्य की रायसेन जिले की जनपद पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से वंचित अनेक ग्रामों में एक भी आवास स्वीकृत न होने,

(8) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य की सीधी जिले के कुसमी ब्लाक की ग्राम पंचायतों में जंगली हाथियों के आतंक से ग्रामीण में दहशत होने,

(9) श्री प्रणय प्रभात पाण्डे, सदस्य की जिला कटनी तह. बहोरीबंद अतंर्गत बर्फी नदी पर पुल निर्माण कराये जाने,

(10) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य की जावरा शहर को पीलिया खाल प्रदूषण मुक्त कार्य योजना की स्वीकृति को शीघ्र प्रांरभ कराये जाने,

(11) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य की विधान सभा क्षेत्र पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी के मोहनगढ़ तह. के कई ग्रामों में पेयजल समस्या होने,

(12) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा, सदस्य की क्वारी नदी पर निर्मित सभी स्टापडेमों को नहर के पानी से भरा जाने,

(13) श्री उमाकांत शर्मा, सदस्य की विदिशा जिले के लटेरी तह. के ग्राम बीजूखेडी नदी पर स्टाप डेम कम पुलिया निर्माण कार्य घटिया स्तर का होने,

(14) श्री शरद जुगलाल कोल, सदस्य की शहडोल जिले के ब्यौहारी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायत पतेरिया टोला से उचेहरा पहुंच मार्ग पर पुल का निर्माण कराये जाने,

(15) डॉ. सीतासरण शर्मा, सदस्य की नर्मदापुरम संभाग के नर्मदापुरम/होंशगाबाद में दत्त मंदिर पहुंच मार्ग का चौड़ीकरण अतिक्रमण के कारण नहीं होने,

(16) श्री महेश परमार, सदस्य की उज्जैन की क्षिप्रा नदी में महाशिवरात्री पर्व पर क्षिप्रा के घाटों पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं को साफ पानी मिले तथा कान्हा नदी के प्रदूषित पानी से बचाये जाने,

(17) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य की मुलताई जिला बैतूल को मॉ ताप्ती का उद्गम स्थल होने के कारण पवित्र नगरी का दर्जा होने के बावजूद शासन के नियमों का पालन न किये जाने,

(18) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य की ग्राम तमोलिया जिला राजगढ़ निवासी को विद्युत करंट लगने में मृत्यु उपरांत मुआवजा न मिलने,

(19) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह, सदस्य की कटनी जिले के विकास खण्ड ढीमरखेड़ा के पान उमरिया के मुख्य मार्गों में चारो तरफ अतिक्रमण होने,

(20) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य की विधानसभा क्षेत्र सरदारपुर में कन्या परिसर संचालित हेतु स्वीकृति प्रदान किये जाने,

(21) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सदस्य की कटनी जिले में आंगनवाड़ी के भवनों के निर्माण हेतु द्वितीय किश्त का भुगतान न मिलने,

(22) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी, सदस्य की दमोह जिले के ग़डिया मानगढ़ से सलैया सड़क का निर्माण न किये जाने,

(23) श्रीमती कृष्णा गौर, सदस्य की गोविन्दपुरा विधान सभा क्षेत्र फोरलेन सड़क पर डिवाइडर के निर्माण से सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि होने,

(24) श्री लखन घनघोरिया, सदस्य की जबलपुर से मण्डला सड़क मार्ग की हालत जर्जर होने,

(25) श्री के.पी. सिंह, सदस्य की प्रदेश में वर्ष 2019 से खाद्यान्न वितरण प्रणाली अंतर्गत ऑनलाईन व्यवस्था होने के बाद भी कार्ड धारकों को राशन न मिलने,

(26) श्री संजय यादव, सदस्य की जबलपुर जिले की तह. बरगी में अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं जनपद पंचायत के लिये कार्यालय भवन उपलब्ध न होने,

(27) श्री शशांक श्री कृष्ण भार्गव, सदस्य की विदिशा में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर निर्धन मजदूर परिवारों को राशन समाग्री वितरण प्रक्रिया में अनियमितता होने,

(28) श्री बैजनाथ कुशवाहा, सदस्य की विधान सभा क्षेत्र सबलगढ़ जिला मुरैना के विकास खण्ड सबलगढ़ शास./अशास. अनुदान प्राप्त स्कूल विभाग द्वारा बंद कर दिये जाने,

(29) श्री सुनील सराफ, सदस्य की अनूपपुर जिले के कोतमा विधानसभा क्षेत्र में कोल ऐरिया की रायल्टी क्लीयरेंस जारी करने में भारी भ्रष्टाचार होने तथा

(30) श्री दिनेश राय, सदस्य की सिवनी वि.ख. क्षेत्र अंतर्गत व्यपवर्तन निर्माणाधीन नहर के बंद पड़े कार्यों को पुन: प्रारंभ कराये जाने,

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुईं मानी गईं.

6. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख

(1) बड़वानी और खरगौन में बिना नोटिस दिये दुकानों और मकानों को तोड़ा जाना

श्री बाला बच्चन, सदस्य ने उल्लेख किया कि बड़वानी और खरगोन जिलों की नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों सहित प्रदेश के अनेक जिलों में प्रशासन द्वारा निजी जमीनों पर बनी दुकानें एवं मकानों को बिना नोटिस दिये तोड़ा जा रहा है, राजपुर नगर पंचायत की बाड़ी में जो दुकानें 10-12 वर्षों से बनी हुई थीं, उन्हें बिना नोटिस दिये तोड़ दिया गया है. शासन इस पर रोक लगाए और पीड़ित परिवारों को मुआवजा दे.

(2) दतिया स्थित लोकेन्द्र क्लब को प्रशासन द्वारा तोड़ा जाना

डॉ. गोविन्द सिंह एवं प्रियव्रत सिंह, सदस्यगण ने उल्लेख किया कि दतिया जिले में 1944 में विधिवत तरीके से बनाए गये लोकेन्द्र क्लब और वहां रखी बिलियर्ड्स की टेबल को प्रशासन ने नियम विरूद्ध तोड़ दिया है. हमने ध्यानाकर्षण दिया है सरकार इस पर तत्काल जवाब दे और दोषी लोगों को तत्काल जेल भेजा जाए.

दतिया की इस घटना को लेकर इण्डियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के अधिकांश सदस्यगण शोरगुल करते हुए गर्भगृह में आए. व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 12.09 बजे 5 मिनट के लिये स्थगित की जाकर 12.15 बजे पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने आसंदी से अनुरोध किया कि सरकारी भवन पर एक व्यक्ति का अवैध कब्जा था. वहां 200 दुकानें बनाकर पूरा मार्केट बेच दिया गया, एक भी दुकान की रजिस्ट्री नहीं है. जबकि यह शासकीय संपत्ति है. यदि इस विषय पर माननीय सदस्यगण स्थगन प्रस्ताव लाते हैं तो हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं.

7. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री बिसाहूलाल सिंह, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन का 15 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक, वित्तीय वर्ष 2017-18 पटल पर रखा.

(2) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री ने निम्नलिखित अधिसूचनाएं –

(क) क्रमांक एफ-2-4-2020-सात-शा.7, भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर, 2020,

(ख) क्रमांक एफ-2-5-2020-सात-शा.7, भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर, 2020, तथा

(ग) क्रमांक एफ-2-6-2020-सात-शा.7, भोपाल, दिनांक 3 नवम्बर, 2020,

पटल पर रखीं.

(3) डॉ.मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2019-20 पटल पर रखे.

(4) श्री हरदीप सिंह डंग, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री ने मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का 36 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 पटल पर रखा.

(5) श्री बृजेन्द्र सिंह यादव, राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी ने मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित का सातवां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19 पटल पर रखा.

8. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि - विधानसभा की नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यानाकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं, परंतु सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में 4 सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों केवल वे ही प्रश्न पूछकर इन ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर यथा शीघ्र चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी कराने में सहयोग प्रदान करें. तद्नुसार -

(1) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य ने राजगढ़ जिले के छापीहेड़ा से नलखेड़ा मार्ग की जर्जर हालत की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री गोपाल भार्गव, लोक निर्माण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

(2) श्री जजपाल सिंह जज्जी, सदस्य की श्योपुर जिले में कृषकों की टिड्डी एवं अतिवृष्टि से सोयाबीन की फसल खराब होने पर राहत राशि न दिये जाने संबंधी सूचना उनकी अनुपस्थिति के कारण प्रस्तुत नहीं की गई.

(3) सर्वश्री पंचूलाल प्रजापति, दिव्यराज सिंह, राजेन्द्र शुक्ल, सदस्यगण ने रीवा जिले में सड़कों की हालत खराब होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री गोपाल भार्गव, लोक निर्माण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

(4) श्री संजीव सिंह, सदस्य ने भिण्ड शहर स्थित प्राचीन भिण्डीऋषि मंदिर की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने की ओर अध्यात्म मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

सुश्री उषा ठाकुर, अध्यात्म मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री पी.सी. शर्मा (जिला-भोपाल शहर)
(2) श्री अशोक ईश्वरदास रोहाणी (जिला-जबलपुर)
(3) श्री शैलेन्द्र जैन (जिला-सागर)
(4) श्री पुरूषोत्तमलाल तंतुवाय (जिला-दमोह)
(5) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर (जिला-टीकमगढ़)
(6) श्री उमाकांत शर्मा (जिला-विदिशा शहर)
(7) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक (जिला-कटनी नगर)
(8) श्री सुरेश राजे (जिला-ग्वालियर)
(9) श्री लाखन सिंह यादव (जिला-ग्वालियर)
(10) श्रीमती कृष्णा गौर (जिला-भोपाल शहर)
(11) श्रीमती मनीषा सिंह (जिला-अनूपपुर)
(12) श्री कुणाल चौधरी (जिला-शाजापुर)
(13) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(14) श्री विक्रम सिंह (जिला-सतना)
(15) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव (जिला-विदिशा)
(16) डॉ. गोविन्द सिंह (जिला-भिण्ड)
(17) श्री मुकेश रावत (पटेल) (जिला-अलीराजपुर)
(18) श्री जयवर्द्धन सिंह (जिला-गुना)
(19) श्री के.पी. त्रिपाठी (जिला-रीवा)
(20) श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला-धार)
(21) श्री संजय यादव (जिला-जबलपुर)

(22) श्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी (जिला-दमोह)
(23) श्री आलोक चतुर्वेदी (जिला-छतरपुर)
(24) श्री बहादुर सिंह चौहान (जिला-उज्जैन)
(25) श्री राज्यवर्धन सिंह (जिला-राजगढ़)
(26) श्री प्रहलाद लोधी (जिला-पन्ना)
(27) श्रीमती झूमा सोलंकी (जिला-खरगोन)
(28) श्री दिनेश राय 'मुनमुन' (जिला-सिवनी)
(29) श्री जालम सिंह पटैल (जिला-नरसिंहपुर)
(30) श्री अनिरूद्ध (माधव) मारू (जिला-नीमच)
(31) श्री हर्ष यादव (जिला-सागर)
(32) श्री मुरली मोरवाल (जिला-उज्जैन)
(33) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा (जिला-मुरैना)
(34) श्री पारस चन्द्र जैन (जिला-उज्जैन)
(35) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को (जिला-अनूपपुर)
(36) श्री नीलांशु चतुर्वेदी (जिला-सतना)
(37) श्री राकेश गिरि (जिला-टीकमगढ़)
(38 श्री विशाल जगदीश पटेल (जिला-इंदौर)
(39) श्री सुनील सराफ (जिला-अनूपपुर)
(40) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया (जिला-मंदसौर)
(41) श्री दिलीप सिंह गुर्जर (जिला-उज्जैन)
(42) श्री प्रेमशंकर वर्मा (जिला-होशंगाबाद)
(43) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला-रतलाम)
(44) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल (जिला-रायसेन)
(45) श्री प्रणय प्रभात पांडे (जिला-कटनी)
(46) श्री आरिफ मसूद (जिला-भोपाल शहर)
(47) श्री मनोज चावला (जिला-रतलाम)
(48) श्री कुंवरजी कोठार (जिला-राजगढ़)
(49) श्री प्रियव्रत सिंह (जिला-राजगढ़)
(50) श्री राजेश कुमार प्रजापति (जिला-छतरपुर)
(51) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-छिन्दवाड़ा)
(52) श्री तरबर सिंह (जिला-सागर)
(53) श्री शरद जुगलाल कोल (जिला-शहडोल)
(54) श्री बापूसिंह तंवर (जिला-राजगढ़)
(55) श्री जजपाल सिंह 'जज्जी' (जिला-अशोक नगर)
(56) श्री संजीव सिंह (जिला-भिण्ड)
(57) श्री राहुल सिंह लोधी (जिला-टीकमगढ़)
(58) श्री रामचंद्र दांगी (जिला-राजगढ़)
(59) श्री शरदेन्दु तिवारी (जिला-सीधी)
(60) श्री पहाड़ सिंह कन्नौजे (जिला-देवास)

10. अध्यक्षीय घोषणा

आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा पूर्ण होने के पश्चात् अशासकीय कार्य लिया जाना

अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से घोषणा की कि मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियम 23 के अनुसार शुक्रवार की बैठक के अंतिम ढाई घण्टे गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के संपादन के लिए नियत है परन्तु आज की कार्यसूची में उल्लेखित बजट पर सामान्य चर्चा पूर्ण होने के उपरान्त अशासकीय कार्य लिया जायेगा तथा कार्यसूची के पद 6 व 8 में उल्लेखित शासकीय विधि विषयक कार्य आगामी दिवस में संपादित किया जायेगा.

11. वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (पूर्वानुबद्ध)

श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री द्वारा दिनांक 2 मार्च, 2021 को सदन में उपस्थापित, वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक पर 4 मार्च, 2021 को हुई चर्चा के क्रम में निम्नलिखित सदस्यों ने भी भाग लिया :-

(9) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर

सभापति महोदय (श्री लक्ष्मण सिंह) पीठासीन हुए.

(10) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया
(11) श्री सुनील सराफ (भाषण अपूर्ण)

(अपराह्न 130. से 3.10 बजे तक अन्तराल)

सभापति महोदय (श्री लक्ष्मण सिंह) पीठासीन हुए.

श्री सुनील सराफ (भाषण पूर्ण)

(12) श्री संजय यादव
(13) श्री हरिशंकर खटीक
(14) श्री नीलांशु चतुर्वेदी
(15) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल
(16) सुश्री हिना लिखीराम कावरे
(17) श्रीमती कृष्णा गौर
(18) श्री पी.सी. शर्मा
(19) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा
(20) श्री प्रियव्रत सिंह
(21) श्री प्रहलाद लोधी
(22) श्री बापूसिंह तंवर
(23) श्री संजय शाह मकड़ाई
(24) श्री जितू पटवारी

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री ने सामान्य चर्चा का उत्तर दिया.

12. अध्यक्षीय घोषणा
नियम 52 के अधीन आधे घण्टे की चर्चा अगली बार ली जाना

सर्वश्री जितू पटवारी, सदस्य एवं इण्डियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने नियम 52 के अधीन कार्यसूची में अंकित चर्चाओं को आज लेने की मांग की. आसंदी द्वारा उनको आश्वस्त किया गया कि नियम 52 के अधीन इन चर्चाओं को अगली बार लिया जायेगा.

13. अशासकीय संकल्प.

(1) डॉ. सीतासरन शर्मा, सर्वश्री सुदेश राय, विजयपाल सिंह, ठाकुरदास नागवंशी एवं श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा, सदस्यगण ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि - "सदन का यह मत है कि होशंगाबाद जिले में निवासरत जनता की धार्मिक आस्था को दृष्टिगत रखते हुए होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर "नर्मदापुरम" किया जाए.". संकल्प प्रस्तुत हुआ.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. सीतासरन शर्मा
(2) श्री विजयपाल सिंह
(3) श्री ठाकुरदास नागवंशी
(4) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा
(5) श्री पी.सी. शर्मा

श्री गोविन्द सिंह राजपूत, परिवहन मंत्री ने उत्तर दिया.

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ.

(2) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक के स्थान पर श्री यशपाल सिंह सिसौदिया (अधिकृत सदस्य) ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि - "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि पश्चिम मध्य रेल के खन्ना बंजारी रेल्वे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर विजयनाथधाम किया जाए.". तथा संक्षिप्त भाषण दिया. संकल्प प्रस्तुत हुआ.

श्री गोविन्द सिंह राजपूत, परिवहन मंत्री ने उत्तर दिया.

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ.

(3) अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया कि डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य के अनुरोध पर अशासकीय संकल्प "प्रदेश के धार्मिक स्थलों की शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए" को अगले शुक्रवार को लिया जायेगा."

अपराह्न 6.05 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 8 मार्च, 2021 (17 फाल्गुन, शक सम्वत् 1942) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल:
दिनांक: 4 मार्च, 2021.